राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 278/2011/बांसवाड़ा.

मैसर्स रूचि इण्डस्ट्रीज,
जी–100, इण्डस्ट्रियल एरिया, ठिकरिया, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, बांसवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रतनलाल जैन, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/6/2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 15/वेट/2009–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, बांसवाड़ा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 76(6) के तहत प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 31.3.2009 को दोपहर 4 बजे औद्योगिक क्षेत्र बांसवाड़ा स्थित एक गोदाम में वाहन संख्या आर.जे.03/जीए–0877 को चावल कट्टे अनलोड करते हुए चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने उक्त माल से सम्बन्धित मैसर्स राशिद ट्रेडिंग कम्पनी, चितरी (डूंगरपुर) का बिल संख्या 260 दिनांक 30.3.2009 प्रस्तुत किया। सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त वाहन को उसी दिन प्रातः 7:30 बजे रोड़ चैकिंग के दौरान चैक किया गया था, जिसमें 600 कट्टे चावल लदे हुए थे एवं वाहन चालक द्वारा उक्त माल से सम्बन्धित बिहार से गुजरात परिवहन के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। इस सम्बन्ध में वाहन चालक के बयान लिये जाने पर उसने जाहिर किया कि वह बिहार से इन्दौर आया था तथा वहां से क्रॉसिंग पर वाहन में माल भरा था, तब उसे माल से सम्बन्धित सूर्यपुर (गुजरात) के दस्तावेज दिये गये थे, जो उसके द्वारा प्रातः चैकिंग के समय प्रस्तुत किये गये थे। तत्पश्चात मैसर्स रूचि इण्डस्ट्रीज के कहने पर माल बांसवाड़ा में ही खाली किया गया।

लगातार.....2

उक्त तथ्यों के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि वाहन सूर्यपुर (गुजरात) गया ही नहीं तथा कर चोरी की मंशा से मिथ्या दस्तावेजों से माल परिवहनित किया गया है। अतः माल परिवहन में धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,37,124/— आरोपित करने का आदेश दिनांक 1.4.2009 को पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2010 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित वाहन को चैक किये जाने पर लदे हुए माल चावल से सम्बन्धित वैट इन्वॉयस मैसर्स राशिद ट्रेडिंग कम्पनी चितरी जिला डूंगरपुर (राज.) टिन नं0 08313801230 प्रस्तुत किया था, इसलिए अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन नहीं किया गया था, फिर भी सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित कर विधिक भूल की है। उनका कथन है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा उसी वाहन को सुबह 7:30 बजे चैक करने सम्बन्धी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी, न ही उससे अपीलार्थी को लेना देना है। यह माल अपीलार्थी द्वारा मैसर्स राशिद ट्रेडिंग कम्पनी से ही क्रेडिट पर क्रय किया था, जिसका भुगतान समय पर नहीं होने के कारण अपीलार्थी को विक्रेता द्वारा दिनांक 6.11.2009 को जरिये एडवोकेट रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भी जारी किया था, जिसकी प्रति भी प्रस्तुत की गई। इस सद्भावी व्यवहार के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को विधिक भूल ही कहा जायेगा तथा अपीलीय अधिकारी ने भी शास्ति की पुष्टि कर अपीलार्थी के साथ अन्याय किया है।

अग्रिम कथन किया कि उक्त तर्कों के होते हुए, यह भी उल्लेखनीय है कि वक्त चैकिंग माल परिवहनरत नहीं था, बल्कि वाहन से माल खाली कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 76 प्रभावी नहीं होती है। इसलिए भी आरोपित शास्ति अविधिक है।

उक्त आधार पर अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने शास्ति आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वाहन चालक के बयान अनुसार वाहन को प्रातः 7:30 बजे बांसवाड़ा के पास चैक किया गया था। उस समय वाहन में लदे माल 600 कट्टे चावल से सम्बन्धित दस्तावेज बिहार से सूर्यपुर (गुजरात) के बने हुए थे। बयान अनुसार प्रातः 10:30 बजे दस्तावेज वाहन चालक को वापस किये थे तथा उसने राजस्थान में माल खाली नहीं करने का कथन किया था। उसके बाद वाहन एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर खड़ा रहा था, जहां उसे मैसर्स राशिद ट्रेडिंग कम्पनी के बिल दिये गये, जिनके आधार पर माल अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर खाली हो रहा था। वाहन चालक के बयान से स्पष्ट होता है कि वाहन गुजरात गया ही नहीं, न ही गुजरात की पार्टी ने माल राशिद ट्रेडिंग को विक्रय किया। फिर भी राशिद ट्रेडिंग के दस्तावेज से माल अपीलार्थी के यहां खाली होते पाया गया। इस प्रकार फर्जी दस्तावेजों से बिहार से माल परिवहनित कर आयात किया गया तथा राज्य में ही खाली कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति उचित रूप से आरोपित की गई थी तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उसकी पुष्टि करने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है, इसलिए अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाहन चालक ने वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में दिये बयानों अनुसार माल राज्य के बाहर से बाहर के दस्तावेजों से परिवहन किया जा रहा था। यह तथ्य वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा वाहन को सुबह 7:30 बजे चैक किये जाने पर पाया गया था। वाहन चालक के बयान अनुसार वाहन बांसवाड़ा में ही खड़ा रहा तथा अपीलार्थी के यहां सांय 4:00 बजे खाली होते पाया गया तब माल के सम्बन्ध में मैसर्स राशिद ट्रेडिंग का बिल पाया गया। माल राशिद ट्रेडिंग कम्पनी को कैसे प्राप्त हुआ, अस्पष्ट है। फिर भी विक्रय करना बताया गया है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के विक्रेता द्वारा माल की कीमत चुकाने के लिये नोटिस की प्रति भी पेश की गई, लेकिन विक्रेता को भुगतान का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मैसर्स राशिद ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा माल विक्रय ही नहीं किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने माल का परिवहन समाप्त होने का तर्क भी दिया गया है, लेकिन वक्त चैकिंग वाहन से पूरे माल को अनलोड नहीं किया गया था, अर्थात् माल की सुपुर्दगी अपीलार्थी द्वारा नहीं ली गई थी, इसलिए माल विधिक रूप से परिवहनरत ही माना जायेगा।

लगातार.....4

उक्त विवेचनानुसार परिवहनित माल फर्जी दस्तावेजों से परिवहनित किये जाने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित विधिक रूप से की गई थी तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी शास्ति आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
24/6/14